राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6 सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

क्रमांक : 265 दिनांक: 15-02-2021

आदेश

राज्य के उद्योगों पर व्यावसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा EoDB के लिये ऑनलाइन तकनीक का उपयोग करने व स्व प्रेरणा से नियमों की त्वरित पालना के लिये विकल्प देने हेतु कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम, 1948 व इसके अन्तर्गत बने राजस्थान कारखाना नियम, 1951, Rajasthan Welfare Officers (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1959, Rajasthan Control of Industrial Major Accident Hazards Rules, 1991, बायलर अधिनियम, 1923 व इसके अन्तर्गत बने राजस्थान बायलर नियम, 1954 तथा वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 व इसके अन्तर्गत बने राजस्थान वेतन भुगतान नियम, 1961 के अन्तर्गत रिकॉर्ड/रजिस्टर ऑनलाइन या कम्प्यूटर पर संधारित करने के लिये कारखाना कब्जेदार व कारखाना प्रबन्धन को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है :-

1. उक्त अधिनियमों व नियमों के तहत संधारित किये जाने वाले सभी रिकॉर्ड्स व रजिस्टर को कारखाना प्रबंधन IT Act, 2000 के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन या कम्प्यूटर पर संधारित कर सकता है।
2. उक्त अधिनियमों व नियमों के तहत अनुपालना हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन ही प्रस्तुत किये जावेंगें।
3. विभाग से संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न व सभी आवेदन ऑनलाईन ही प्रस्तुत किये जावेंगें।
4. उक्त अधिनियमों व नियमों के तहत प्रदर्शित की जाने वाली वैधानिक सूचनाओं को simplify करने हेतु व कंप्यूटर तकनीक का उपयोग कर ऐसी सभी सूचनाएं अंकीकरण कर (digitize) प्रदर्शित की जा सकती हैं।

उक्त आदेश किसी शिकायत अथवा कारखाने में दुर्घटना होने की स्थिति अथवा प्रशासनिक / राज्य सरकार के किसी आदेश अथवा न्यायालय के आदेश अथवा मानवाधिकार आयोग के आदेश की स्थिति में लागू नहीं होंगे।

15/02/2021

(मुकेश जैन)

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बालयर्स

राजस्थान, जयपुर